

भारत संघ

बनाम

शिव शंभू गिरी

(2008 की दांडिक अपील सं. 1027)

25 मार्च, 2014

[डॉ.बी. एस. चौहान और जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्तिगण]

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985: धारा 23 - प्रयोज्यता - अभिनिर्धारित: धारा 23 तीन अपराध बनाती है अर्थात् भारत में आयात, भारत से निर्यात; और किसी भी मादक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का पुनः प्रेषण - धारा 23 के अंतर्गत आने वाले "पुनः प्रेषण" शब्द को धारा की योजना के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और "भारत में आयात" और "भारत से निर्यात" के पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियों का अर्थ केवल भारत में आयात या भारत से निर्यात के उद्देश्य से पुनः प्रेषण है - वर्तमान मामले में, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उत्तरदाता भारत में आयात या भारत से निर्यात के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा था - इसलिए, उच्च न्यायालय ने धारा 23 के तहत दोषसिद्धि को सही ढंग से अपास्त कर दिया।

एकमात्र उत्तरदाता और दो अन्य अभियुक्तों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 और 29 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। विचारण न्यायालय ने उत्तरदाता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के तहत अपराध का दोषी पाया, लेकिन पाया कि उसके खिलाफ धारा 29 के तहत आरोप साबित नहीं हुए। इसलिए, उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और एनडीपीएसएफ अधिनियम की धारा 23 के तहत अपराध के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया गया।

उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि

प्रतिबंधित पदार्थ विदेशी मूल का था और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के तहत उसकी दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया।

इसलिए वर्तमान अपील दायर किया गया।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 तीन अपराधों का प्रावधान करती है और वे हैं: (i) भारत में आयात, (ii) भारत से निर्यात; और (iii) किसी भी मादक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का पुनः प्रेषण। धारा 23 के अंतर्गत प्रयुक्त "पुनः प्रेषण" शब्द को धारा की योजना और "भारत में आयात" तथा "भारत से निर्यात" के पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए, जिसका अर्थ केवल भारत में आयात या भारत से निर्यात के उद्देश्य से पुनः प्रेषण है। [कंडिका 7] [807-ए-डी]

2. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 9(1) की भाषा से यह देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार ऐसे नियम बनाने के लिए अधिकृत है जो विभिन्न गतिविधियों जैसे कोका के पत्ते, पोस्त का भूसा, अफीम पोस्त और अफीम के व्युत्पन्न आदि जैसे विभिन्न पदार्थों की खेती, संग्रहण, उत्पादन, कब्जा, बिक्री, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात या निर्यात की अनुमति और विनियमन कर सकते हैं, जबकि संसद ने उपधारा 1(ए)(vii) में ऐसी सामग्री के अंतरराज्यीय आयात या निर्यात के संदर्भ में परिवहन शब्द का प्रयोग किया था, जबकि भारत में आयात और भारत से बाहर निर्यात के संदर्भ में, संसद ने धारा 9(i)(ए)(vii) में पुनः प्रेषण शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के तहत उत्तरदाता की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [कंडिका 9 और 10] [808-जी-एच; 809-ए-बी]

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: दांडिक अपील सं. 1027/2008।

दांडिक अपील सं. 359/2003 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 19.05.2006 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलार्थी के लिए डॉ. अशोक धमीजा, बीनू टम्टा, सोनिया धमीजा, बी. के. ए. प्रसाद, भावना सिंह देव, बी. वी. बलराम दास

उत्तरदाता के लिए अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद, निर्मल कुमार अम्बष्ठ, अविरल शुक्ला
न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

जे. चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति 1. पटना उच्च न्यायालय के दांडिक अपील सं. 359/2003 के निर्णय से व्यथित होकर, भारत संघ द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलीय निर्णय के अनुसार, तीन अलग-अलग अभियुक्तों द्वारा तीन अपीलें दायर की गईं, जिन्हें पूर्वी चंपारण जिले के मोथारी स्थित पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा आबकारी वाद सं. 31/2001 में 12 जून, 2003 के अपने निर्णय द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "एनडीपीएस अधिनियम") के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलीय निर्णय द्वारा, सभी अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तरदाता को छोड़कर अन्य दो अभियुक्तों को बरी किए जाने के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है या नहीं।

3. एकमात्र उत्तरदाता और दो अन्य अभियुक्तों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 और 29 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। विचारण न्यायालय ने उत्तरदाता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के तहत एक अपराध का दोषी पाया, लेकिन पाया कि अधिनियम की धारा 29 के तहत उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ। इसलिए, उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

4. उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता की अपील स्वीकार कर ली और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के तहत उसकी दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया। निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

"17. जहाँ तक दांडिक अपील सं. 359/2003 के अपीलकर्ता शिव शंभू गिरि का संबंध है, उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को कई आधारों पर चुनौती दी है, जिनमें यह भी शामिल है कि उनके पास से गांजा बरामद किया गया था। उनका यह भी तर्क था कि यद्यपि उन पर अधिनियम की धारा 23 और 29 के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्हें अधिनियम की धारा 29 के तहत बरी कर दिया गया था और उन्हें षड्यंत्र का हिस्सा नहीं माना गया था और माना जाता है कि वे केवल अन्य व्यक्तियों के कहने पर एक वाहक थे। इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 के तहत उनकी सजा भी कानून की नज़र में मान्य नहीं है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 23 के तत्व इस मामले में लागू नहीं होते क्योंकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि गांजा विदेशी भूमि से आयात किया गया था। धारा के शब्दों के अनुसार, इस धारा के तहत सजा पाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थ का आयात होना आवश्यक है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि गांजा विदेशी मूल का था। अभियोजन पक्ष भी यह साबित नहीं कर सका कि जब्त किया गया पदार्थ वास्तव में गांजा था या नहीं, क्योंकि कोई रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन नहीं थी। न तो मूल रूप में न्यायालय में पेश किया गया और न ही उन्हें साबित करने के लिए रासायनिक परीक्षक से जांच कराई गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 42, 52 और 57 के अनिवार्य प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिबंधित माल की बरामदगी के समर्थन में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष उनसे पूछताछ करने में विफल रहा है। केवल स्वतंत्र गवाह ही पंचनामा (प्रदर्श 18) का गवाह है।"

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. अशोक धमीजा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में बड़ी गलती की है कि इस बात के सबूत के अभाव में कि उत्तरदाता के कब्जे से कथित रूप से जब्त किया गया गांजा विदेशी मूल का है, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 लागू नहीं होती है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर भी आपत्ति जताई कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि उत्तरदाता से जब्त सामग्री गांजा थी।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 तीन अपराध बनाती है और वे हैं: (i) भारत में आयात, (ii) भारत से निर्यात; और (iii) किसी भी मादक दवा या मनःप्रभावी पदार्थ का पुनः प्रेषण। यदि तीनों गतिविधियों में से कोई भी एक अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में या अधिनियम या नियमों के तहत दिए गए आदेश या दिए गए लाइसेंस या परमिट की शर्त या प्रमाण पत्र या प्राधिकरण के उल्लंघन में की जाती है। धारा 23 के तहत आने वाले अभिव्यक्ति "पुनः प्रेषण" को आवश्यक रूप से धारा की योजना के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और "भारत में आयात" और "भारत से बाहर निर्यात" की पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियों का अर्थ केवल भारत में आयात या भारत से बाहर निर्यात के उद्देश्य से पुनः प्रेषण है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि इस बात के कोई सबूत न होने पर कि उत्तरदाता भारत में आयात या भारत से बाहर निर्यात के दौरान प्रतिबंधित सामान ले जा रहा था, धारा 23 लागू नहीं होती।

8. हम एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 की व्याख्या पर उत्तरदाता द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हैं, इसमें प्रयुक्त "पुनः प्रेषण" शब्द को उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए अनुसार ही समझा जाना चाहिए। धारा 23 की भाषा की व्याख्या के अलावा एक और कारण है जो हमें उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। धारा 9(1)(a)(vii) में भी पुनः प्रेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। धारा 9(1) इस प्रकार है;

"9. केन्द्रीय सरकार की अनुमति देने, नियंत्रण करने और विनियमित करने की शक्ति। - (1)

धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा-

(क) अनुमति और विनियमन -

- (i) कोका पौधे के किसी भाग की खेती या संग्रहण (ऐसी खेती या संग्रहण केवल केन्द्रीय सरकार के कारण हो) या कोका पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, उपयोग या उपभोग;
- (ii) अफीम पोस्त की खेती (ऐसी खेती केवल केन्द्रीय सरकार के खाते में होगी);
- (iii) अफीम का उत्पादन और निर्माण और पोस्त के भूसे का उत्पादन;
- (iv) केंद्र सरकार के कारखानों से अफीम और अफीम व्युत्पन्नों की बिक्री भारत से निर्यात के लिए या राज्य सरकार या विनिर्माण रसायनज्ञों को बिक्री के लिए;
- (v) निर्मित औषधियों का निर्माण (तैयार अफीम के अलावा) लेकिन इसमें औषधीय अफीम या किसी निर्मित औषधि से बनी कोई भी तैयारी शामिल नहीं है, ऐसी सामग्री से जिसे निर्माता कानूनी रूप से अपने पास रखने का हकदार है;
- (vi) मनःप्रभावी पदार्थों का निर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, बिक्री, खरीद, उपभोग या उपयोग;
- (vii) भारत में आयात और भारत से निर्यात तथा मादक दवाओं और मनोविकार नाशक पदार्थों का पुनः प्रेषण;
- (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विषय पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण प्रभावी करने के लिए अपेक्षित कोई अन्य विषय विहित करना।"

9. धारा की भाषा से यह देखा जा सकता है कि केन्द्र सरकार को नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जो विभिन्न गतिविधियों जैसे कि कोका के पत्ते, पोस्त का तिनका, अफीम पोस्त और अफीम के व्युत्पन्न आदि जैसे विभिन्न पदार्थों की खेती, एकत्रीकरण, उत्पादन, कब्जा, बिक्री, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात या निर्यात की अनुमति और विनियमन कर सकता है, जबकि संसद ने उप-धारा 1(ए)(vi) में ऐसी सामग्री के अंतर-राज्यीय आयात या निर्यात के संदर्भ में परिवहन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है, भारत में आयात और भारत से बाहर निर्यात के संदर्भ में, संसद ने धारा 9(i)(ए)(vii) में पुनः प्रेषण

अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है।

10. इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 के तहत उत्तरदाता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

11. इस निष्कर्ष के मद्देनजर, हम उत्तरदाताओं को बरी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अन्य निष्कर्षों की सत्यता की जाँच करना आवश्यक नहीं समझते। इसलिए, अपील खारिज की जाती है।

डी.जी.

याचिका खारिज की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।